



न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रा
 प्रकरण : संख्या - 55/2021 वाद शीर्षक... रोशन लाल बनारस

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
13-12-24	वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थिति पीडाशील अधिकारी राज काज प्रवर्धन/अवकाश कर है। प्रवासी पूर्व आदेश की वास्तवता में दिनांक... 28-2-25 को पेश हो।
10.01.25	यह पत्रा. अधि. वादी/प्रार्थी द्वारा प्रकरण विरो का प्रार्थना पत्र पेश करने पर सिर्ग से तनख होकर पेश हुई। अधि. वादी/प्रार्थी उप. / वादी/प्रार्थी रोशन लाल उप. प्रकरण विरो का प्र. प. पेश कर सिवेदन किया कि आपस में लोक अदालत की गावना से प्रेरित होकर वादी/प्रार्थी अपना प्रकरण प्रत्याहर्ति करना चाहता है। अतः प्रकरण को विरो करने का आदेश कराया जावे। चूंकि पक्षकारान में आपसी राजीनामा हो गया है। प्रकरण में अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः प्रकरण को रद्दी स्तर पर विरो के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रा. केसल शुमार होकर नखबर से कमी हो। बाद दखिल बाद तकमील दखिल हुआ हो।
	सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमंद

Indulge
by me
Mansal
10/1/25